मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग
कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, कैमूर (भभुआ)

आम नीलामी सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्पाद वादो में निम्नांकित राज्यसात वाहनों की आम नीलामी निम्नलिखित तिथि एवं समय पर जहाँ है जैसी है कि स्थिति मे की जायेगी।

आम नीलामी द्वारा जहाँ है, जैसे है कि स्थिति में नीलाम की जाने वाली वाहनों का विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	उत्पाद अधिहरण वाद सं0	राज्यसात वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या	राज्यसात वाहन जहाँ रखी गयी है।	Minimum Floor Price	अग्रधन की राशि Minimum Floor Price का 10%
1.	Exc-178/16	मोटरसाइकिल	UP67J-4165	उत्पाद मालखाना कचहरी रोड, भभुआ	17,000.00	1,700.00
2	Exc-203/16	मोटरसाइकिल	BR45E-5573	उत्पाद मालखाना कचहरी रोड, भभुआ	25,000.00	2,500.00
3.	Exc-65/16	मोटरसाइकिल	UP65AU-2719	उत्पाद मालखाना कचहरी रोड, भभुआ	15,000.00	1,500.00
4.	Exc-64/16	मोटरसाइकिल	UP65BS-2458	उत्पाद मालखाना कचहरी रोड, भभुआ	25,000.00	2,500.00
5.	Exc-67/16	मोटरसाइकिल	UP66A-8616	उत्पाद मालखाना कचहरी रोड, भभुआ	8,000.00	800.00
6.	Exc-66/16	मोटरसाइकिल	UP63S-6449	उत्पाद मालखाना कचहरी रोड, भभुआ	35,000.00	3,500.00

आम नीलामी की तिथि/समय

नीलामी की तिथि	स्थान	समय
04.07.2017 (मंगलवार) 19.07.2017 (बुधवार)	उत्पाद बैरक हाजत व मालखाना परिसर, कैमूर (भभुआ)	11 बजे पूर्वाहन से नीलामी समाप्ति तक

कृ0पृ0उ0....

1. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अग्रधन के रूप में न्यूनतम निर्धारित राशि का 10% नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमा करना होगा। आम निलामी में असफल व्यक्तियों को निलामी के तत्काल बाद अग्रधन राशि के रूप में जमा राशि/बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा तथा सफल व्यक्ति का अग्रधन राशि को नीलामी की कुल राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
2. निलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले केता के साथ उसी स्थिति मे बिकी की अनुशंसा की जायेगी जब वह राशि न्यूनतम निर्धारित राशि के समतुल्य या अधिक हो।
3. निलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले केता को निलामी के तत्काल बाद बोली की पूर्ण राशि जमा करनी होगी अन्यथा नीलामी रदद कर दी जाऐगी और उनकी अग्रधन की राशि को जप्त कर लिया जाऐगा तथा भविष्य में किसी भी नीलामी में भाग लेने से रोकने हेतु उन्हे कृष्ण चिन्हित (Black Listed) करने की कार्रवाई की जाऐगी।
4. समिति सफल केता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलामी कर दिये जानें का पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनानें की जिम्मेवारी नीलामी प्राप्त करने वाले केता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी।
5. नीलामी में सफल केता को नियमानुकूल सभी करों का भुगतान करना होगा।
6. वाहन जहाँ है और जिस स्थिति में है उसी स्थिति और स्थान से वाहन विमुक्त किया जाऐगा।
7. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक केता निलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को राज्यसात वाहनो को देख सकते है। अधिक जानकारी कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, कैमूर (भभुआ) में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
8. कमिटी को बिना कारण बताये निलामी रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अपर समाहर्त्ता,
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक..... 898 ..... / दिनांक..... 17.10 2017

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— पुलिस अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त तिथियों में राज्यसात वाहनो की आम नीलामी शांतिपूर्ण ढंग से संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु 10:30 बजे पूर्वाहन से नीलामी समाप्ति तक सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को जिले की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से प्रचार-प्रसारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कमिटी के सभी सदस्यों को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः— निरीक्षक उत्पाद, भभुआ-सह-मोहनियाँ क्षेत्र/सभी अ0नि0उ0/मालखाना प्रभारी, उत्पाद मालखाना, भभुआ अंचल को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि राज्यसात किये गये इन वाहनों को केताओं को दिखाने हेतु किसी विशेष चिन्ह से चिन्हित करें ताकि आनेवाले केताओं को राज्यसात वाहन को देखनें में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

प्रतिलिपिः— कमिटि से संबंधित लिपिकों को सूचनार्थ एवं उन्हे निदेशित किया जाता है कि समाहरणालय/जिला परिषद स्थित नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगें एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारीयों को इसकी प्रति प्रचार-प्रसार हेतु भेजना सुनिश्चित करेगें।

अपर समाहर्त्ता,
-सह-
अध्यक्ष, उत्पाद वाहन नीलाम कमिटी
कैमूर (भभुआ)।